

न्यायालय :: अतिरिक्त, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)::

(पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक- 17/2014

संस्थापन दिनांक- 24.02.2014

1. श्रीमती रामवेटी पत्नी श्री वकीलसिंह उम्र, 53 वर्ष।
2. वकीलसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह उम्र 55 वर्ष।
3. रामप्रीत पुत्र वकीलसिंह, उम्र 20 वर्ष।
4. कुलदीप पुत्र वकीलसिंह, उम्र 17 वर्ष, सरपरस्त पिता स्वयं वकीलसिंह पुत्र जगदीश। समस्त निवासीगण ग्राम गितौर पोस्ट गितौर तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. सतेन्द्र उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र श्री रामप्रकाश उर्फ करूसिंह सिकरवार, निवासी ग्राम जारेट, थाना मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

-----**वाहन चालक**

2. राधा बल्लभ शर्मा पुत्र बैजनाथ शर्मा, निवासी वार्ड न0 9 पुराने थाने के पास भिण्ड म0प्र0

-----**वाहन मालिक**

-----**अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधि0
अनावेदक क0 1 व 2 पूर्व से एक पक्षीय।

अधि-निर्णय

(आज दिनांक 21-08-2017 को पारित किया गया)

01. आवेदकगण की ओर से यह क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए दिनांक 06.05.2013 को रात्रि 09:30 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड गैस गोदाम के पास ग्राम डांग के पास मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने एवं दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप मृतक रामेन्द्र की मृत्यु हो जाने से उस पर आश्रितों के द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाई जाने बावत् प्रस्तुत की है।

02. संक्षेप में आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका इस प्रकार है कि मृतक रामेन्द्र जो कि बालाजी बस पर कंडक्टरी का काम करता था और दिनांक 06.05.2013 को रात्रि 09:30 बजे बस को ग्वालियर छोड़कर मोटरसाइकिल से गोहद स्थित अपने घर आ रहा था और वह जैसे ही गैस गोदाम ग्राम डांग के पास पहुँचा तभी मेहगांव की तरफ से प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 का चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे रामेन्द्र को अत्यधिक चोटें आई और रामेन्द्र को एम्बुलेंस से गोहद लाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर जे.ए.एच. अस्पताल रिफर कर दिया गया, किन्तु रास्ते में ही रामेन्द्र की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की गई जिस पर से अप0क0 111/2013 अंतर्गत धारा 304ए भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया, दुर्घटनाकारी वाहन को जप्त किया गया एवं आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र संबंधित न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

03. याचिका में आगे निवेदन किया है कि मृतक रामेन्द्र की असमायिक मृत्यु हो जाने से आवेदक क्रमांक 1 व 2 अपने पुत्र एवं आवेदक क्रमांक 3 व 4 अपने बड़े भाई के प्यार दुलार से बंचित हो गए हैं एवं उनसे बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और उनको अत्यधिक मानसिक कष्ट सहना पड़ा है। अनावेदक क्रमांक 1 उक्त मोटर का दुर्घटना दिनांक को चालक था और अनावेदक क्रमांक 2 उसका मालिक था। अतः आवेदकगण को उक्त दुर्घटना में रामेन्द्र की मृत्यु होने से आय की क्षति के रूप में एवं भविष्य में होने वाली आय की क्षति के रूप में एवं अन्य मदों में कुल 36,00,000/- (छत्तीस लाख रुपये) रुपये अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 एकपक्षीय रहे हैं। उनकी ओर से याचिका का प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका

निष्कर्ष विवेचन उपरान्त उनके समक्ष लिखा जा रहा है :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या दिनांक 06.05.2012 को रात्रि में लगभग 09:30 बजे भिण्ड ग्वालियर हाइवे गैस गोदाम के सामने अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्रमांक 1 ने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मृतक रामेन्द्र की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 ए.पी. 3655 को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की?	"हाँ"
02	क्या उपरोक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप रामेन्द्र को शारीरिक क्षतियाँ कारित हुई? और क्या कारित शारीरिक क्षतियों के परिणामस्वरूप रामेन्द्र की मृत्यु कारित हुई?	"हाँ"
03	क्या आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा प्रथमतः क्षतिपूर्ति के रूप में 36,00,000/- रुपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?	हाँ, अना. क. 1 व 2 से संयुक्ततः अथवा पृथकतः 6,47,000/-रुपए।
4	सहयात एवं व्यय?	याचिका आंशिक रूप से स्वीकार, कंडिका 26 के अनुसार।

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय विन्दु क0 1 के संबंध में :-

06. आवेदकगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि मृतक रामेन्द्र घटना दिनांक 06.05.2013 को कंडक्टरी की नौकरी पूर्ण कर घर बापस आ रहा था उसी समय दुर्घटना हुई। प्रकरण में अनावेदकगण एकपक्षीय रहे है। साक्षी रामबेटी अ0सा0 1 के कथन इस प्रकार रहे है कि जैसे यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी हो, किन्तु इस साक्षी का अपने कथनों में ऐसा कहना नहीं रहा है कि घटना उसके सामने घटित हुई है।

07. प्रकरण में आवेदकगण की ओर से घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा में दर्ज अपराध क्रमांक 111/13 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रदर्शित की हैं जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्र.पी. 2 के अवलोकन से दर्शित होता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट रामप्रीत द्वारा लिखाई गई है और जिसमें रामप्रीत द्वारा यह लिखाया गया है कि आगे आगे मोटरसाइकिल से रामेन्द्र जा रहा था और पीछे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल से वह स्वयं जा रहा था और जैसे ही रामेन्द्र गैस गोदाम के सामने पहुँचा मेहगांव तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 प्लेटिना के चालक ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर रामेन्द्र को सामने से टक्कर मार दी।

08. प्रकरण में आवेदकगण की ओर से रामप्रीत अ0सा0 2 का परीक्षण कराया गया है जिसमें इस साक्षी ने घटना अपने समक्ष घटित होना एवं घटना मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 के चालक की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित होने संबंधी कथन किए हैं। घटना के संबंध में एक अन्य साक्षी मुकुटसिंह अ0सा0 3 का भी परीक्षण कराया गया है जिसने घटना अपने समक्ष होना एवं घटना मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.पी. 5333 के चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण घटित होने संबंधी कथन किए हैं।

09. आवेदक साक्षियों की एकपक्षीय अखण्डनीय साक्ष्य का समर्थन प्रकरण में प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों से होता है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

10. थाना गोहद चौराहा पर दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 111/13 में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध दुर्घटना के लिए प्रथम दृष्टिया दोषी पाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

11. प्रकरण में अनावेदक छोटेलाल के विरुद्ध अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अनावेदक क्रमांक 1 सतेन्द्र सिंह को प्रथम दृष्टाया उपेक्षा और लापरवाही का दोषी होना लेख किया है।

12. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रामसुजान तिवारी व एक अन्य विरुद्ध सीता गुप्ता व अन्य 2009 (3) ए.सी.सी. 455 (डी.बी.) अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट चालक के विरुद्ध उपेक्षा व लापरवाही के संबंध में अभिलिखित करायी गई हो तथा ड्राइवर के विरुद्ध अन्वेषण के पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ ड्राइवर को वाहन के चालन में उपेक्षा व लापरवाही का दोषी माना जावेगा।

13. अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचित परिस्थितियाँ एवं उपलब्ध एकपक्षीय अखण्डनीय साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 की उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्ण कृत्य को परिणाम थी। अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण सकारात्मक रूप से "हाँ" में किया जा रहा है।

विचारणीय बिन्दु क्र० 2 के संबंध में :-

14. प्रकरण में आवेदकगण की ओर से दुर्घटना में रामेन्द्र को चोटें कारित होने के पश्चात् उसकी मृत्यु होने संबंधी आधार लिया गया है। आवेदक साक्षियों का अपने कथनों में यह कहना रहा है कि मौके पर दुर्घटना होने से रामेन्द्र को गंभीर चोटें थी और उसे मौके से एम्बूलेंस से गोहद लेकर आया गया, जहाँ से गंभीर चोट होने के कारण उसे ग्वालियर रिफर कर दिया गया था, किन्तु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें घटना में रामेन्द्र को चोटें कारित होने का उल्लेख है।

15. प्रकरण में आवेदक साक्षियों के साक्ष्य के समर्थन में आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ भी रिकार्ड पर हैं जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप कारित चोटों से रामेन्द्र की मृत्यु हुई। इस संबंध में शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 7 महत्वपूर्ण है जिसमें मृतक रामेन्द्र की मृत्यु सिर में आई चोटों के कारण एवं शॉक के कारण होने संबंधी अभिमत दिया है। अतः प्रकरण में इस आशय की विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य

रिकार्ड पर है कि दुर्घटना में रामेन्द्र को गंभीर चोटें कारित हुई जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है।

16. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण सकारात्मक रूप से "हाँ" में किया जा रहा है।

विचारणीय विन्दु क0 3 के संबंध में :-

17. आवेदक साक्षियों का कहना रहा है कि मृतक रामेन्द्र अविवाहित था और वह ग्वालियर में बस कंडक्टरी का कार्य करता था। याचिका में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि मृतक रामेन्द्र कंडक्टरी से प्रति माह कितनी आय अर्जित कर लेता था, जबकि रामेन्द्र की मृत्यु से होने वाली आय की क्षति के रूप में एकमुस्त 15,00,000/— (पंद्रह लाख रुपए) रुपए की मांग की है।

18. साक्षी रामवेटी अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसकी पुत्र को कंडक्टरी से 12,000/— (बारह हजार रुपए) रुपए महीना मिलता है। इसी आशय के कथन रामप्रीत एवं मुकुटसिंह के रहे हैं, किन्तु इस संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है, किन्तु निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाए तो न्यूनतम अकुशल श्रेणी के मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 225/— प्रति दिन है। मृतक रामेन्द्र एक स्वस्थ नवयुवक दर्शाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में यह मान्य किये जाने योग्य है कि मृतक रामेन्द्र निश्चित रूप से न्यूनतम रूप से एम माह में 6000/— (छः हजार रुपए) रुपए आय अर्जित करने में सक्षम था जो कि वार्षिक 72,000/— (बहात्तर हजार रुपए) होती है।

19. मृतक रामेन्द्र की आय याचिका में उल्लेखित नहीं की गई है। मृतक की आय के संबंध में कोई पृथक से दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया जाए तो शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 7 में रामेन्द्र 25 वर्षीय होना लेख किया है। इसी प्रकार एम.एल.सी. में भी 25 वर्षीय होना लेख है। जबकि मार्ग इंटीमेशन प्र.पी. 4 में मृतक रामेन्द्र को 30 वर्षीय होना दर्शाया गया है। इसी

प्रकार अकाल मृत्यु की सूचना में भी मृतक को 30 वर्षीय होना लेख किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के मामलों में मृतक की आयु के आधार पर गुणक निर्धारित किया है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, 2009 (2) एस.सी.सी.डी. 937 (एस.सी.) में 26 से 30 वर्ग की आयु समूह के लिए 17 का गुणक निर्धारित किया है। मृतक रामेन्द्र की वार्षिक आय 72,000/- रुपए मान्य की गई है। अतः मृतक की मृत्यु से आचितता की आयु की हानि $72 \times 17 = 12,24,000$ /- (बारह लाख चौबीस हजार रुपए) रुपए होती है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, 2009 (2) एस.सी.सी.डी. 937 (एस.सी.) में यह मत प्रतिपादित किया है कि जहाँ मृतक अविवाहित हो वहाँ आवेदकगण केवल 50 प्रतिशत की राशि ही प्राप्त करने के अधिकारी है और मृतक के व्यक्तिगत व्यय के रूप में 50 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि मृतक के कुछ वर्षों पश्चात् विवाह करने की संभावना होती है तब उस दशा में उसकी अधिक राशि अपनी पत्नि व बच्चों पर व्यय करने की संभावना रहती है न कि आश्रितगणों पर। अतः मृतक की आय की हानि 12,24,000/- रुपए में से 50 प्रतिशत की राशि कम करने पर 6,12,000/- (छः लाख बारह हजार रुपए) रुपए की आय की हानि आवेदकगण को होना प्रमाणित होती है, जिसे वह प्राप्त करने के अधिकारी है।

21. मृतक का कोई उपचार हुआ हो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत राजेश एवं अन्य विरुद्ध राजवीर सिंह एवं अन्य, 2013 ए.सी. जे. 1403 में अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार अंत्येष्टि के व्यय के रूप में आवेदकगण को 25,000/- रुपये दिलाये जाने न्यायोचित प्रतीत होता है।

22. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में आवेदकगण प्रकरण में आई साक्ष्य, प्रमाणित परिस्थितियाँ एवं मान्य सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित मद में निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

01	आवेदकगण को मृतक रामेन्द्र की मृत्यु से हुई आश्रितता की हानि के मद में	6,12,000 /—
02	मृतक अमित की अंत्येष्टी पर खर्च के मद में	25,000 /—
03	मृतक रामेन्द्र की मृत्यु से आवेदकगण को हुए मानसिक कष्ट के मद में	10,000 /—
	कुल योग	6,47,000 /—

23. प्रकरण में दुर्घटनाकारी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 5333 मौके से पाई गई है। प्रकरण में चालानी दस्तावेज अनुसार अनावेदक क्रमांक 2 मोटरसाइकिल का रजिस्टर्ड स्वामी है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व वाहन चालक एवं वाहन स्वामी का संयुक्ततः अथवा प्रथमतः है।

24. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परस्थितियों में विचारणीय बिन्दु क्रमांक 3 का निराकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा प्रथमतः क्षतिपूर्ति के रूप में 6,47,000 /— (छः लाख सैतालीस हजार रुपये) रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद प्रश्न क0 4 के संबंध में :-

25. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अधिनिर्णीत की जाती है:-

1. आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा प्रथमतः क्षतिपूर्ति के रूप में **6,47,000 /— (छः लाख सैतालीस हजार रुपये)** रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. अनावेदकगण उक्त क्षतिपूर्ति की राशि अधिनिर्णय दिनांक से 30 दिवस में आवेदकगण को अदा करे जिस पर आवेदन प्रस्तुत दिनांक 18.02.2014 से 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

3. अनावेदकगण द्वारा उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 30 दिवस में अदा न करने पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से वास्तविक अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दस से व्याज देय होगा।
4. अनावेदकगण अपने साथ-साथ आवेदकगण का वाद व्यय भी वहन करेंगे।
5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो रुपये जोड़ी जावे।
उक्तानुसार व्यय तालिका निर्मित की जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)